

फर्द अहकाम

न्यायालय: अतिरिक्त जिला कलक्टर, उदयपुर

प्रार्थी: श्री रामा पिता पन्ना दरोगा व अन्य विपक्षी: श्रीमती हंसा पत्नि बंसन्तिलाल भगोरा व अन्य

किस्म मुकदमा: अपील नामान्तरकरण

पत्रावली संख्या: 06

वर्ष: 2019

GCMS NO-2019/00013

क्र.स.	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की
29.01.2021	<p>पत्रावली पेश हुई। मामले में उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा की गई बहस का राजस्व रिकॉर्ड के मुकाबले अध्ययन किया एवं वर्णित तथ्यों पर गंभीरता से मनन किया। पत्रावली के गंभीरतापूर्वक अवलोकन करने पर यह पाया गया है कि नामान्तरकरण संख्या 848 दिनांक 28.06.2017 ग्राम पंचायत द्वारा स्वीकृत किया गया है, जिसके विरुद्ध अपील का श्रवणाधिकार/क्षेत्राधिकार उपखण्ड अधिकारी का है, किन्तु अपीलान्त अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत अपील में उक्त नामान्तरकरण तहसीलदार झाड़ोल द्वारा पारित होना बताया जाने से प्रकरण इस न्यायालय में दर्ज हुआ है। ऐसी स्थिति में क्षेत्राधिकार/श्रवणाधिकार के अभाव में इस न्यायालय स्तर पर प्रकरण में निर्णय पारित किया जाना उचित नहीं है।</p> <p>अतः प्रकरण में कार्यवाही इसी स्टेज पर ड्रॉप की जाती है एवं अपीलान्त अधिवक्ता को सक्षम न्यायालय में चाराजोही करने हेतु निर्देशित किया जाता है। चूंकि अपीलान्त द्वारा सहवन से इस न्यायालय में अपील वर्ष 2019 में ही पेश कर दी थी, ऐसी स्थिति में सक्षम न्यायालय में अपील प्रस्तुत करने पर विलम्ब की अवधि न्यायहित में कण्डोन की जाएगी।</p> <p>निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार हो नम्बर से कम किया जावे।</p>	

